BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 25 अगस्त 2023

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त पंकज कुमार उर्फ विश्वजीत पुत्र डालचन्द निवासी ग्राम बुढानपुर थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 23.07.2017 को थाना डिबाई पर मुअसं-252/2017 धारा 302 भादवि पंजीकृत है। जिसमें पुलिस द्वारा दिनांक 23.10.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 25.08.23 को मा0 न्यायालय एडीजे-04, बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पंकज कुमार उर्फ विश्वजीत को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक श्री चन्द्रभान सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है

मीडिया सेल बुलन्दशहर